कार्यालय भू-प्रबन्ध आयुक्त राजस्थान, जयपुर ।

क्रमांक/फा/भूप्रआ/एस. एम./भूकर/1 11/8/1/85/पार्ट III/4626 दिनांक: 28/9/2001

परिपत्र

सामान्यतया देखा गया है कि भू-प्रबन्ध संक्रियाओं के अधीन तहसीलों में अभिलेख लेखन के समय राजस्व जमाबन्दी और पटवार नक्शों को लेकर भू-प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों में सैकड़ो-हजारो विसंगतियों एवं अनियमितताओं का सामना करना पड़ता है । ऐसी विसंगतियाँ/अनियमि... यद्यपि भू-प्रबन्ध अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा मौके पर ही निर्णित की जा सकती है, परन्तु उन्हें ऐसा करने का कोई अधिकार प्रदत्त नहीं किए गए हैं। ऐसी स्थिति में निर्देशित किया जाता है कि ऐसी सभी विसंगतियों/अनियमितत... के प्रकरण बनाए जाकर उसकी एक प्रति भू-प्रबन्ध अधिकारी के माध्यम से सम्बन्धि... जिला कलक्टर को निर्णय करने हेतु भेजदी जावे तथा उनकी एक अन्य प्रति आयुक्त भू-प्रबन्ध को आवश्यक रूप से भिजवादें ताकि राज्य सरकार के स्तर से कार्यवाही कराई जा सकें । ध्यान रहे ! जब तक सम्बन्धित विसंगतियों का निराकरण राजस्व अभिकरण द्वारा नहीं किया जाता है तब तक रिकार्ड को अंतिम रूप नहीं दिया जाए । सम्बन्धित पूर्व परिपत्रों को अतिक्रमित करते हुए इन दिशा-निर्देशों पर त्वरित कार्यवाही की जाए ।

भू-प्रबन्ध आयुक्त,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक/सम संख्यक : 4627-40

दिनांक: 28/9/2001

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ :-

1. भू-प्रबन्ध अधिकारी, जयपुर/जोधपुर/बीकानेर/उदयपुर/भीलवाड़ा/बासंवाड़ा/डूंगरपुर/सिरोही/अजमेर/कोटा/[illegible]/अलवर/भरतपुर ।

भू-प्रबन्ध आयुक्त,
राजस्थान, जयपुर।